न्यायालय–चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, सागर
(समक्षः– सुनील कुमार)

जमानत आवेदन क्र. 1944/2022
अपराध क्रमांक 41/2021 थाना मोतीनगर

शिवराज कुंडू तनय जिले सिंह कुंडू आयु 50 वर्ष
निवासी पेंट हाउस बी बिल्डिंग 3 हिबिसकस सोसायटी
सेक्टर 50 गुड़गांव, हरियाणा .. आवेदक/अभियुक्त

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना मोतीनगर
जिला सागर म.प्र. अनावेदक

———————————————————————————————

08.12.2022 जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त हुआ।

आवेदक/अभियुक्त शिवराज कुंडू की ओर से श्री एस.एल.श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री भूपेंद्र राठौर उपस्थित।

आपत्तिकर्ता धर्मवीर की ओर से श्री मयंक प्रजापति अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लेखी आपत्ति पेश की।

आपत्तिकर्ता साजन कुमार जैन की ओर से श्री राकेश सोनी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लेखी आपत्ति पेश की।

आपत्त्किर्ता सतेंद्र की ओर से श्री सुशील मिश्रा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लेखी आपत्ति पेश की।

आपत्तिकर्ता मुकेश खंडेलवाल की ओर से श्री पवन नन्होरिया अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लेखी आपत्ति पेश की।

आपत्तिकर्ता राजेश सिंह की ओर से श्री के.सी.पटैल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लेखी आपत्ति पेश की।

सभी आपत्तियों की नकल आवेदक अधिवक्ता को प्रदान की गईं।

थाना मोती नगर सागर से अपराध क्रमांक 41/2021 अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120–बी, 506 भादंसं की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त हुई। प्रतिवेदन की छायाप्रति आवेदक अधिवक्ता को प्रदान की गई । केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक इस प्रकरण में दिनांक 06.12.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 117/2020 नियत पेशी दिनांक 10.01.2022 का भी अवलोकन किया जावे।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अर्न्तगत धारा 439 दण्ड

प्रकिया संहिता पर तर्क श्रवण किये गये ।

संक्षेप में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. इस प्रकार है कि आवेदक को थाना मोतीनगर पुलिस के द्वारा गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसका धारा 437 दंप्रसं का आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया। आवेदक ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया उसे षडयंत्रपूर्वक झूठा फंसाया गया है। आवेदक के.सी.सी.बिल्डकान प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है एवं रोहित शर्मा रेडकान कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। आवेदक की कंपनी को 21.03. 2017 को एक सडक बनाने का काम एम.पी.आर.डी.सी. के द्वारा प्रदान किया गया था जिसमें से कुछ कार्य करने का उप ठेका के.सी.सी.कंपनी ने रोहित शर्मा की कंपनी रेडकान कंपनी को दिनांक 08.03.2018 को दिया था। आवेदक की कंपनी द्वारा रोहित शर्मा की कंपनी को दिये गये कार्य को वह करवा रहा था। आवेदक की कंपनी ने किसी भी फरियादी से कोई काम नहीं करवाया न ही इस संबंध में कोई लिखा पढी की थी। रोहित शर्मा ने किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाया इसका संबंध आवेदक से नहीं है। विनोज प्रजापति द्वारा एस.टी.एफ.को की गई शिकायत की जांच में यह पाया गया था कि भुगतान को लेकर विवाद है जो सिविल प्रकृति का होकर पुलिस के हस्तक्षेप योग्य विषयवस्तु नहीं है। एक अन्य सत्र प्रकरण में धर्मवीरसिंह ने अपने न्यायालयीन कथनों में रेडकान कंपनी के मालिक रोहित शर्म्मा से लेन देन होना बताया है उसने के.सी.सी.कंपनी से कोई लेन देन नहीं रहा होना बताया है। रोहित शर्मा द्वारा उसे दिया गया चैक अनादरित होने के कारण तथा रोहित शर्मा के फरार होने के कारण धर्मवीर ने विनोद प्रजापति के साथ मिलकर यह झूठा प्रकरण आवेदक की कंपनी के विरूद्ध पंजीबद्ध कराया है जबकि अपराध क्रमांक 769/2019 एवं अपराध क्रमांक 41/2021 के तथ्य एवं परिस्थितियां समान हैं। सहआरोपी हासिम खान को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। न्यायालय के आदेश से 4 करोड़ रूपयों की एफडी बैंक में करा दी गई है। आवेदक गुडगांव हरियाणा का स्थायी निवासी होकर आयकर दाता है उसके फरार होने की संभावना नही है। आवेदक का यह धारा 439 द.प्र.सं. का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है इसके अलावा सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है न ही निरस्त हुआ है। जमानत आवेदन के समर्थन में बलजीतसिंह पिता स्व.रणसिंह जाट का शपथ पत्र पेश किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि धर्मवीरसिंह पिता सुल्तानसिंह ने थाना मोतीनगर में इस आशय का लिखित आवेदन पेश

किया कि वह बालाजी कंस्ट्रक्शन फर्म का प्रोप्राईटर है, उसकी कंपनी वर्क साईट पर आरएमसी प्लांट लगाकर कंक्रीट मिक्सचर सप्लाई का काम करती है व मशीन किराये पर देने का काम करती है। वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात रोहित शर्मा से ग्वालियर में हुई थी। जनवरी 2018 में रोहित शर्मा उससे मिलने के लिये झज्जर आया उसने बताया कि उसे के.सी.सी. बिल्डकान का काम मिला है, वह उसे 6–7 माह में सप्लाई का काम दिला देगा और उसे के.सी.सी.बिल्डकान के आफिस गुरूग्राम ले गया जहां रोहित शर्मा ने उसे 1. बलराज कुंडू 2. शिवराज कुंडू, 3.व्ही.के.लांबा, 4.हासिम खान से मिलवाया और बताया कि बलराज, शिवराज व व्ही.के.लांबा तीनों के.सी. सी.बिल्डकान के डायरेक्टर व हासिम खान के.सी.सी.बिल्डकान का म.प्र.हेड है। फिर उन सबने बताया कि उनकी कंपनी को म.प्र.में भापेल जैसीनगर रोड बनाने का करीब साढे 65 करोड का ठेका मिला है तथा एमपीआरडीसी का एग्रीमेंट दिनांक 14.09.2016 दिखाया और बताया कि रेडकान कंपनी हमारी ही सब कंपनी है जिसका काम रोहित शर्मा देख रहे हैं उसमें आपकों मशीनरी व रेडीमिक्स सीमेंट कांक्रीट सप्लाई करना है तो उसने कहा कि वह काम करने को तैयार है। उसके बाद बलराज, शिवराज व व्ही.के.लांबा ने बताया कि हासिम खान उनकी कंपनी के म.प्र.हेड हैं वही आपसे रोड के काम की बात करेंगे उसके बाद वह रोहित शर्मा के बताये पते संयोग विहार भोपाल जाकर हासिम खान व रोहित शर्मा से मिला। हासिम खान ने बताया कि उनकी कंपनी ने रेडकान कंपनी को भापेल जैसीनगर रोड का काम दे दिया है जो उनकी ही सब कंपनी है जिसका काम रोहित शर्मा देख रहे हैं तो उसने कहा कि उनके काम के लिये वह माल सप्लाई कर देगा तब दिनांक 09.02.2018 को रोहित शर्मा द्वारा उसकी फर्म के साथ आरएमसी व मशीनरी का 6.97 करोड़ का एग्रीमेंट किया उसने पेमेंट के बारे में पूछा तो रोहित शर्मा ने बताया कि माल सप्लाई का पेमेंट हर माह कर दूंगा। उसके कुछ दिन बाद उसने भापेल जैसीनगर रोड पर प्लांट लगाया व मई से रोड के काम की सप्लाई शुरू कर दी जिसका रोड के काम व डीजल चार्ज मिलाकर 12085000/–रूपये दिया उसके बाद रोहित शर्मा ने उसकी सप्लाई का पेमेंट देना बंद कर दिया उसने अपने पेमेंट के बारे में रोहित से पूछा तो उसने कहा कि के.सी.सी.से पेमेंट नहीं आया है आने पर दे देगा तुम चिंता न करो और सप्लाई चालू रखो तो वह मटेरियल सप्लाई करता रहा। उसका पेमेंट 57615000/–रूपये होने से तथा उसे पैसों की जरूरत थी तो वह रोहित के साथ हासिम के पास गया और पैसे मांगे और कहा कि पूरा पेमेंट करो नहीं तो आपकी साईट से अपना प्लांट ले जाउंगा जिस पर रोहित शर्मा, हासिम खान व उनका सहयोगी महेंद्र उर्फ मिंटू सिंह राजपूत व अनुराग दोहन ने उसे जान से मारने की धमकी दी यदि यदि यहां से प्लांट ले गये तो जिंदा नहीं जा पाओगे। वह कुछ दिन बाद

के.सी.सी.बिल्डकान के आफिस गुरूग्राम गया जां उसे बलराम, शिवराज, व्ही. के.लांबा, हासिम खान, रोहित शर्मा मिले जिनसे पेमेंट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पूरा पेमेंट लेना है तो भापेल में लगा प्लांट उन्हें बेच दो तो उसने डरकर 62 लाख रूपये में अपना प्लांट के.सी.सी.कंपनी को बेच दिया जिसका आधा अमाउंट उसके सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के खाते में दिनांक 19.07.2019 को आ गया तथा बकाया अमाउंट श्रीराम फायनेंस कंपनी को दिया था। उसके बाद वह केसीसी बिल्डकान के बलराज, शिवराज, व्ही.के.लांबा, हासिम खान व रोहित शर्मा से मिला और रोहित शर्मा 57615000/–रूपये का चैक दिलवा दिया जो कि अनाधिकृत हो गया जिसके बाद आवेदक से मिलने पर वह उसके साथ गाली गलौज करने लगा उक्त आधार पर फरियादी ने आवेदक व अन्य लोगों के विरूद्ध धोखाधडी की शिकायत किये जाने पर आवेदक के विरूद्ध थाना मोतीनगर में अपराध क्रमांक 41/2021 अंतर्गत धारा 120–बी, 406, 420,467, 468, 471, 506 भादंसं पंजीबद्ध किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक के विरूद्ध उसके अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी के साथ 57615000/–रूपये की राशि की धोखाधडी किये जाने का आरोप है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि इस न्यायालय में अपराध क्रमांक 769/2019 से उदभूत सत्र प्रकरण 117/2020 में भी फरियादी के द्वारा अपने कथन अनुसंधान के दौरान लेख कराये गये हैं और फरियादी के द्वारा आवेदक के विरूद्ध उस पर दबाब डालने के आशय से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्हीं तथ्यों पर पृथक से लेखबद्ध कराई गई है। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि उक्त मामले में फरियादी ने अपने न्यायालयीन कथनों में आवेदक शिवराज कुंडू के द्वारा उसके साथ छल कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं उक्त आधार पर विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदक के निर्दोष होने के आधार पर उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में सत्र प्रकरण क्रमांक 117/2020 का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त मामले में फरियादी विनोद प्रजापति के द्वारा हासिम खान व रोहित शर्मा के विरूद्ध धोखाधडी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराये जाने के आधार पर हासिम खान व रोहित शर्मा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। यद्यपि उक्त मामले में इस मामले के फरियादी के भी कथन लेखबद्ध किये गये परंतु उस मामले में आवेदक की भूमिका के संबंध में कोई अनुसंधान किया जाना दर्शित नहीं होता है जिस कारण से फरियादी ने पृथक से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई और हस्तगत मामला उसके विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ।

अपराध क्रमांक 769/2019 से उद्भूत सत्र प्रकरण क्रमांक 117/2020 में आवेदक आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और न ही उक्त प्रकरण में उसके संबंध में कोई विवेचना हुई है। यहां पर यह भी अवलोकनीय है कि फरियादी ने इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में गुरूग्राम में आवेदक से मिलने और उसके द्वारा आवेदक को हासिम खान व रोहित शर्मा से काम के बारे में बात करने को कहा गया। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाये गये हैं और वह निर्दोष है। इस स्तर पर केस डायरी के अवलोकन से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि आवेदक की अपराध में कोई भूमिका नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझती है। उपरोक्तानुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जावे।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार जमा किया जावे।

(सुनील कुमार)
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश,
सागर म.प्र.

प्रतिलिपि–थाना प्रभारी मोतीनगर को सूचनार्थ प्रेषित ।

(सुनील कुमार)
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश,
सागर म.प्र.

SUNIL KUMAR

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2022.12.08 18:45:48 +0530